सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनाँक 12 मार्च, 2020 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनाँक 12 मार्च, 2020 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:–

1. डा0 आर0के0 मित्तल, कुलपति	**अध्यक्ष**
2. श्री ओमप्रकाश शर्मा, मा0 सदस्य, विधान परिषद	**सदस्य**
3. श्री जितेन्द्र पाल सिंह, मा0 विधायक	**सदस्य**
4. डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायक	**सदस्य**
5. श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री	**सदस्य**
6. डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक।	**सदस्य**
7. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	**सदस्य**
8. श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
9. डा0 प्रबोध कुमार, सहायक निदेशक, कृषि, मेरठ। (प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
10. डा0 प्रशांत सत्य, अपर निदेशक, मेरठ। (निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
11. डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ। (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
12. श्री अवध नारायण, वित्त नियंत्रक	**सचिव**

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया।

वित्त नियंत्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

प्रस्ताव संख्या 42.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 41वीं बैठक दिनाँक 12 सितम्बर, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 42.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 41वीं बैठक दिनाँक 12 सितम्बर, 2019 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मा0 प्रबन्ध परिषद के द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या पर असंतोष दिखाया गया एवं विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद से 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक बिन्दु पर की गयी कार्यवाही से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराने का निर्णय किया गया।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 42.3 : विश्वविद्यालय में दिनांक 01.04.2005 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन से कटौती के सम्बन्ध में परिसंचलन द्वारा (By Circulation) प्रस्ताव का अवलोकन।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में दिनांक 01.04.2005 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को नवीन पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रू0 365.00 लाख की धनराशि की मांग के

वित्त नियंत्रक
सा0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ-250110

कुलसचिव
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

सापेक्ष उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 26/2019/1462/67–कृशिअ–19–400(30)/2011 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के माध्यम से रू0 182.50 लाख की धनराशि निर्गत कर दी गयी है। संदर्भित कार्मिकों को उपर्युक्त का लाभ प्रदान करते हुए कटौती की जानी है। संदर्भित शासनादेश में बिन्दु–1 पर स्पष्ट किया गया है कि "धनराशि कोषागार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।"

अतः उपरोक्त प्रस्ताव मा0 सदस्यों द्वारा परिसंचलन द्वारा (By Circulation) के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था।

उपर्युक्त का मा0 सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या–42.4: कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुर्नविनियोग के माध्यम से राजस्व मद के वेतन मद में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत वैज्ञानिकों/शिक्षकों एवं शिक्षणैत्तर कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2019–2020 के शेष 02 माह (जनवरी–फरवरी, 2020) के वेतन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा की गयी मांग के सापेक्ष कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–3/2020/124/67–कृशिअ–20–1500(50)/15 टी0 सी0 –1 दिनांक 31 जनवरी, 2020 के माध्यम से रू0 734.23 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है, जिसके अन्तर्गत मा0 प्रबन्ध परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्राप्त धनराशि से

वित्त नियन्त्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0 विश्वविद्यालय, मेरठ

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों/ शिक्षकों एवं शिक्षणैत्तर कार्मिकों को माह जनवरी–फरवरी, 2020 के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में प्रश्नगत धनराशि के व्यय की अनुमति विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रदान की गयी।

उपरोक्त के संदर्भ में डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत की गयी उपर्युक्त धनराशि में से यदि धनराशि बकाया रह जाये तो ऐसी अवस्था में विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों के CAS एवं डी0ए0 का एरियर का भुगतान कर दिया जाये, जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद समस्त सदस्यों द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 42.5– कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप एरियर की धनराशि का भुगतान किये जाने के हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2/2020/2001/67–कृशिअ–19– 1500 (25)/2009. दिनांक 28 जनवरी, 2020 के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप एरियर की धनराशि का भुगतान किये जाने के हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 में विश्वविद्यालय की मांग के सापेक्ष

वित्त नियंत्रक
रा0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
सै0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0

रू0 296.40 लाख धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 148.20 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

उपर्युक्त शासनादेश में प्रश्नगत धनराशि के व्यय की अनुमति विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रदान की गयी।

उपरोक्त आदेश में यह भी निर्देशित किया गया (पैरा–3) कि शासनादेश दिनांक 09.03.2019 के प्रस्तार–1(5)(i) से आच्छादित संवर्ग को देय एरियर की धनराशि का 50 प्रतिशत का अंश आई0सी0ए0आर0 से प्राप्त होने के उपरांत ही इनके लिए राज्य सरकार से पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर की देयता हेतु उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि आहरित की जायेगी।

अतः मा0 प्रबन्ध मंडल ने अनुमोदन किया कि शीघ्र ही आई0सी0ए0आर0 को इस सम्बन्ध में उनके 50 प्रतिशत देयता का पत्र लिखा जाये, जिससे शिक्षकों का एरियर शीघ्र भुगतान किया जा सके।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 42.6– वित्त समिति की चतुर्दश् (14वीं) बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

कृपया विश्वविद्यालय की वित्त समिति की चतुर्दश् (14वीं) बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 में लिए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वित्त समिति की चतुर्दश् (14वीं) बैठक दिनांक 15.02.2020 के बिन्दु संख्या–14.5 पर वित्त समिति द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत

वित्त नियंत्रक
स0व0या0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0
विश्वविद्यालय, मेरठ

वैज्ञानिकों/शिक्षकों को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 652/सत्तर–2–2019–16 (109)/2016 दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन से पत्राचार किया गया हैं।

जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों/शिक्षकों को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 652/सत्तर–2–2019 –16 (109)/2016 दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता दिये जाने के हेतु उ0प्र0 शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में मकान किराया भुगतान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय के फर्नीचर की व्यवस्था कराने हेतु बजट के लिए मा0 सदस्यों से भी अनुरोध किया जा सकता है। श्री ओमप्रकाश शर्मा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाये एवं यह भी आश्वस्त किया गया कि उनके द्वारा बजट के लिए उ0प्र0 शासन से स्वयं भी अनुरोध किया जायेगा।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव/
प्रभारी अधिकारी, निर्माण)

वित्त नियन्त्रक
सा0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
म० व० मा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

प्रस्ताव संख्याः 42.7 **विद्वत परिषद की 73वीं बैठक दिनांक 11.02.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

विद्वत परिषद की 73वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2020 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा निम्नवत सुझाव दिये गयेः–

1. डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय की मा0 विद्वत परिषद की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के नाम विद्वत परिषद के बैठकों में सूचित करने एवं इन अधिकारियों से आख्या प्राप्त करने हेतु पुनः कहा गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

2. डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक एवं श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री द्वारा वित्त समिति एवं मा0 प्रबन्ध परिषद की पिछली बैठकों के प्रस्तुत किये जाने वाले अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव दिया कि पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों को साक्ष्यों सहित मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया गया।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव)

3. श्रीमती सुषमा सिंह, मा0 सदस्या द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जाने वाले एजेण्डों/कार्यवृत्तों/अन्य सूचनाओं को

वित्त नियंत्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0
विश्वविद्यालय, मेरठ

ई–मेल के माध्यम से भी भेजे जाये एवं विश्वविद्यालय की ओर से दूरभाष से सूचना/वार्ता केवल सक्षम अधिकारी द्वारा ही की जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

4. डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि मा0 विद्वत परिषद के कार्यवृत्त में पूर्व की कई बैठकों के कार्यवृत्तों की बार–बार पुर्नावृत्ति हो रही है, इसका भविष्य में ध्यान रखा जाये। मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को बैठक में बुलाकर मा0 विद्वत परिषद के कार्यवृत्त में पूर्व की बैठकों के कार्यवृत्तों पुर्नावृत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया एवं निर्देश दिये गये कि मा0 विद्वत परिषद की आगामी बैठकों में इसकी पुर्नावृत्ति न हो। तथा ऐसे बिन्दुओं को अगली बैठक में एक एजेण्डा के रूप में (पुराने एजेण्डा) का संदर्भ लेते हुए लाया जाये।

5. श्रीमती सुषमा सिहं, डा0 महेश कौशिक एवं श्री मनोहर सिंह तोमर द्वारा यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में आयोजित हुए विगत दीक्षांत समारोह के लिए मुख्य अतिथि के चयन हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों से सुझाव नही लिया गया। यह भी बताया गया कि किसान मेले की जानकारी भी मा0 सदस्यों को नही दी गयी। इस पर मा0 कुलपति/अध्यक्ष ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि को बुलाने तथा छात्रों को डिग्री प्रदान करने का अनुमोदन मा0 प्रबन्ध मंडल की 41वीं बैठक में लिया गया था, जिसमें सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया गया था। उन्होंने

वित्त नियंत्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौ० वि०

कुलसचिव को निर्देश दिया कि वे कार्यवाही से मा0 सदस्यों को अवगत कराये। किसान मेले से सम्बन्धित जानकारी के लिए भी उन्होनें कुलसचिव को निर्देश दिया कि निदेशक प्रसार से जानकारी एकत्र कर, सभी मा0 सदस्यों को अवगत करायें।

तदोपरांत विश्वविद्यालय की मा0 विद्वत परिषद की 73वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2020 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 42.8 विद्वत परिषद की 74वीं (विशेष) बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय की मा0 विद्वत परिषद की 74वीं (विशेष) बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 में लिए गये निम्नलिखित एजेण्डों पर विचार कर अनुमोदन किया गयाः–

1. उघान महाविद्यालय के पदों एवं अर्हता पर विचार के सम्बन्ध में।
2. पोस्ट–हार्वेस्ट टैक्नालॉजी एवं खाद्य प्रस्संकरण महाविद्यालय के पदों एवं अर्हता पर विचार के सम्बन्ध में।
3. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के पदों एवं अर्हता पर विचार के सम्बन्ध में।
4. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के पदों एवं अर्हता पर विचार के सम्बन्ध में।
5. जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के पदों एवं अर्हता पर विचार के सम्बन्ध में।

वित्त नियंत्रक
उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ-250110

कुलपति
उ० प्र० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

6. निदेशक अनुसंधान केन्द्र, निदेशक प्रसार एवं कृषि महाविद्यालय के पदों की अर्हता पर विचार के सम्बन्ध में।
7. Comparative chart of Score for administrative/teaching post के सम्बन्ध में।
8. Application form for teaching post के सम्बन्ध में।
9. Guidelines for Post Doctoral Fellowship (PDF) at National and International Level के सम्बन्ध में।
10. जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के स्नातक बी0टैक (बायोटैक्नालॉजी) पाठ्यक्रम में 73वीं बैठक में निर्धारित सीटें की संख्या पर पुनः विचार करने हेतु।
11. **अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:–**

    जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के विभिन्न विभागों को पंचम डीन कमेटी की संस्तुति के आधार पर Division एवं Section में पुनर्गठन के सम्बन्ध में।
12. **अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:–**

    दिनांक 15 फरवरी, 2020 को कुलपति सभाकक्ष में माननीय विद्वत परिषद की सम्पन्न हुई 74वीं (विशेष) बैठक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति।

    साथ ही मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा निम्नवत सुझाव दिये गयेः–

    1. श्री मनोहर सिंह तोमर, मा0 सदस्य द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 41वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2019 के बिन्दु संख्या–41.10.1 पर विश्वविद्यालय परिसर में गैर–शैक्षणिक स्तर के नये पदों पर भर्ती करने के लिए कहा गया था, जिसका उनके द्वारा पुनः उल्लेख किया गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में रिक्त

वित्त नियंत्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ--250110

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0

विभिन्न पदों एवं विश्वविद्यालय में नवसृजित महाविद्यालयों के लिए भी गैर–शैक्षणिक पदों हेतु उ0प्र0 शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उ0प्र0 शासन की स्वीकृति के उपरांत ही उपर्युक्त पदों को विज्ञापित कराने की कार्यवाही की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नवसृजित 03 महाविद्यालयों हेतु शिक्षकों के कुल 151 पदों की स्वीकृति उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जा चुकी है, जिनकों विज्ञापित कराने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को 07 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्वीकृति के साथ–साथ आई0सी0ए0आर0 द्वारा उपर्युक्त नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु विभिन्न पदों की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी हैं परन्तु इनको भरने के लिए उ0प्र0 शासन का अनुमोदन अपेक्षित है। वर्तमान में उपर्युक्त नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों पर पुराने कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्टाफ को सम्बद्ध करते हुए कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। साथ ही साथ मा0 कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय को उ0प्र0 शासन द्वारा कन्टीजैन्सी मद के निर्गत की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक)

2. डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय में शार्ट–टर्म कोर्स के संचालन की सूचना चाही, जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया विश्वविद्यालय में शार्ट–टर्म कोर्स के रूप में विभिन्न प्रकार

वित्त नियंत्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ 250110

के ट्रैनिंग कोर्सों का संचालन किया जाता है, जिसमें सर्टिफिकेट्स प्रदान किये जाते है।

3. मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा विद्वत परिषद के बिन्दु संख्या–74.2 पर सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदो के लिए अधिकतम आयु सीमा हटाने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विज्ञापित होने वाले सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों के पदों पर अधिकतम आयु की सीमा बाध्यता नही है जबकि एंट्री लेवल (सहायक प्राध्यापक) के पदों पर अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित की जाती है। श्री मनोहर सिहं तोमर, मा0 सदस्य द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिकों को भी विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित किये जाने वाले विभिन्न पदों पर वरीयता दी जानी चाहिए।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

4. डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय स्तर से नियुक्ति हेतु तैयार किये गये आवेदन–पत्र में आधार नम्बर को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने हेतु सुझाव दिया गया, जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि प्रकरण पर विधिक राय लेते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं कार्यवाही से मा0 सदस्यों को भी अवगत कराया जायेगा।

(कार्रवाईः कुलसचिव)

वित्त नियन्त्रक
रा0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ--250110

कुलपति
स० व० भा० प० कृषि एवं पौद्यो०

प्रस्ताव संख्याः 42.9 मै0 एन0सी0आर0टी0सी0 के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रैपिड रेल कॉरीडोर में बाधक 220 के0वी0 मोदीपुरम–फरीदनगर लाईन के उच्चीकरण हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में 01 नग अतिरिक्त टावर स्थापित करने एवं 01 नग मौजूदा टावर को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मै0 एन0सी0आर0टी0सी0 के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रैपिड रेल कॉरीडोर में बाधक 220 के0वी0 मोदीपुरम–फरीदनगर लाईन के उच्चीकरण हेतु सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में 01 नग अतिरिक्त टावर स्थापित करने एवं 01 नग मौजूदा टावर को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन को भी प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

अतः विश्वविद्यालय मे उपरोक्तानुसाार इंगित किये गये स्थानो पर 01 नग टॉवर को शिफ्ट किये जाने एवं 01 नग अन्य टॉवर को स्थापित कराये जाने हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव/
प्रभारी अधिकारी, निर्माण)

वित्त नियंत्रक
सा0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ--250110

कुलपति
मै० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०

प्रस्ताव संख्याः 42.10 CCS National Institute of Animal Health, Baghpat एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मध्य Post Graduate Training and Research को सुदृढ़ करने हेतु MoU के लिए प्रस्ताव।

CCS National Institute of Animal Health, Baghpat एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मध्य Post Graduate Training and Research को सुदृढ़ करने हेतु MoU से सम्बन्धित प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(कार्रवाईः निदेशक शोध)

प्रस्ताव संख्याः 42.11 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित वादों की पैरवी हेतु श्री निखिल जैन को अधिवक्ता नामित करने के संदर्भ एवं मा0 राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक संख्या 4966/20–जी0एस0 (68)/2018–I दिनांक 19.07.2019 के अनुसार काउॅसिल फीस एवं अन्य व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लम्बित वादों की पैरवी हेतु विश्वविद्यालय विधिक समिति द्वारा श्री निखिल जैन को अधिवक्ता नामित करने के प्रस्ताव के साथ–साथ श्री संदीप सिंह, एडवोकेट को भी मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में

वित्त नियंत्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ–250110

स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

लम्बित पुराने वादों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को छोड़कर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में संदर्भित अन्य/नये वादों हेतु एक पैनल तैयार किया जाये। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि बनाये जाने वाले पैनल में पूर्व के 02 अधिवक्ताओं एवं प्रस्तावित 02 अन्य अधिवक्ताओं को सम्मिलित किया जाये एवं इसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा एक गाईडलाइन भी तैयार करायी जाये, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति का गठन किया जाना उपयुक्त होगा। यह समिति उच्च एवं जिला न्यायालयों में चल रहे वादों एवं अधिवक्ताओं की समीक्षा करेगी।

उपर्युक्त पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले चारों अधिवक्ताओं से उनके बायोडाटा, अनुभव इत्यादि के वादों की पैरवी से सम्बन्धित अनुभव भी प्राप्त किया जाये। श्रीमती सुषमा सिंह, मा0 सदस्या द्वारा सुझाव दिया गया कि पैनल में सम्मलित किये जाने वाले अधिवक्ताओं में केवल स्पेशलिस्ट अधिवक्ताओं को ही नामित किया जाये।

(कार्रवाईः अध्यक्ष, विधिक समिति/कुलसचिव /कुलसचिव (कार्मिक))

अन्य बिन्दुः—
प्रस्ताव संख्या—42.12ः
मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावः—

1. श्री मनोहर सिहं तोमर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र पर कार्यरत कार्मिकों को एन0पी0एस0 एवं पेंशन की सुविधा के साथ—साथ एस0एम0एस0 को दिये जा रहे ग्रेड—पे के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया। जिसपर मा0 कुलपति जी

वित्त नियंत्रक
स0व0भा0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ 250110

कुलपति
स0 व0 भा0 प0 कृषि एवं प्रौद्यो0
विश्वविद्यालय, मेरठ 250110

द्वारा अवगत कराया गया कि आई0सी0ए0आर0 के पत्र संख्या 1535 दिनांक 30.03.2011 के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों पर उपर्युक्त पत्र जारी होने की दिनांक से पूर्व कार्यरत एस0एम0एस0 को ग्रेड–पे रू0 6000/– प्रदान किया जायेगा एवं इसके पश्चात कार्यरत एस0एम0एस0 को रू0 5400/– प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 कुलपति जी द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 192/67–कृशिअ–20–1500 (16)/09 टी0सी0 दिनांक 18 फरवरी, 2020 का उल्लेख भी मा0 सदस्यों के सम्मुख रखते हुए अवगत कराया गया कि उपर्युक्त शासनादेश में क्रम संख्या–1 पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम प्रदान करने के सम्बन्ध में उल्लिखित किया गया है उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 997/67–कृशिअ–19–400(6)/15, दिनांक 18.06.2019 के प्रस्तर–3 के अनुसार विश्वविद्यालय के शैक्षिक संवर्ग के शिक्षक जिनका चयन विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा–28 (4) के अनुसार चैप्टर–13 के परिनियम–4 डी के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया, वही शिक्षक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम/यू0जी0सी0 वेतनमान के पात्र है। के0वी0के0 के कार्मिकों पर कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू नही है।

उपर्युक्त शासनादेश में क्रम संख्या–2 पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि कृषि विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिकों/तकनीकी सवंर्ग का शत–प्रतिशत पोषण आई0सी0ए0आर0 द्वारा किया जाता है। अतः कृषि

वित्त नियंत्रक

कुलपति

विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों को सातवां वेतनमान दिया जाना आई0सी0ए0आर0 के अधिकार क्षेत्र में है। क्रम संख्या–3 पर कृषि विज्ञान केन्द्र में की गयी सेवा को पेंशन हेतु अर्ह मानने के सम्बन्ध में पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2018 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों की सेवा पेंशनरी सेवा नही है।

इसी प्रकार क्रम संख्या–4 पर एन0पी0एस0 लागू करने के सम्बन्ध में इंगित किया गया है कि आई0सी0ए0आर0, अटारी कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 17.07.2019 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि आई0सी0ए0आर0 द्वारा के0वी0के0 हेतु एन0पी0एस0 में बजट आवंटन सम्भव नही है।

साथ ही साथ उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–5 पर उल्लिखित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों को सत्रांत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक यू0जी0सी0 के मानकों के अन्तर्गत अध्यापक/शिक्षक की श्रेणी से आच्छादित नही है।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक/निदेशक प्रसार)

2. डा0 महेश कौशिक, मा0 सदस्य द्वारा वर्ष 2017–18 में आयोजित किये गये किसान मेले के आयोजन के सम्बन्ध में आयोजनकर्ता कम्पनी द्वारा जमा करायी गयी धनराशि की जांच के करते हुए कृत कार्यवाही से मा0 प्रबन्ध परिषद को भी अवगत कराने हेतु कहा गया। जिसपर मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया

वित्त नियन्त्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, मेरठ--250110

कुलसचिव
स० व० भा० प० कृषि एवं प्रौद्यो०
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

कि उपर्युक्त प्रकरण पर जांच कराते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया जायेगा।

(कार्रवाईः कुलसचिव (कार्मिक)/वित्त नियन्त्रक/ निदेशक प्रसार)

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अवध नारायण)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद
वित्त नियंत्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रा0 वि0 वि0, मेरठ–250110

अनुमोदित

03.04.2020

(डा0 आर0के0 मित्तल)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद
कुलपति
स0, कृषि एवं प्रौद्यो0
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110